भारत के आकाश के मेहतरों को पुनर्जीवित करना: असम में गिद्ध संरक्षण

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (**BNHS**) जनवरी 2026 में असम के कामरूप और बिश्वनाथ जिलों में **संकटग्रस्त (Critically Endangered)** श्रेणी के छह गिद्धों — **स्लेंडर-बिल्ड** (पतली चोंच वाले) और **व्हाइट-रम्प्ड** (सफेद पीठ वाले) — को छोड़ने की तैयारी कर रही है। यह पहल भारत के **दीर्घकालिक गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम** का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इन महत्वपूर्ण मेहतरों की आबादी को बहाल करना है जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पृष्ठभूमि

भारत में गिद्ध

- वैश्विक स्तर पर 23 प्रजातियों में से **नौ** भारत में पाई जाती हैं।
- **संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजातियाँ** में शामिल हैं:
  - व्हाइट-रम्प्ड गिद्ध (सफेद पीठ वाले गिद्ध)
  - स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (पतली चोंच वाले गिद्ध)
  - लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध (लंबी चोंच वाले गिद्ध)
  - रेड-हेडेड गिद्ध (लाल सिर वाले गिद्ध)
- **लुप्तप्राय (Endangered)** प्रजातियों में **मिस्र का गिद्ध** (Egyptian vulture) शामिल है, और **संकटासन्न (Near-threatened)** प्रजातियों में **हिमालयन ग्रिफ़ॉन**, सिनरीअस गिद्ध और दाढ़ी वाले गिद्ध शामिल हैं। ग्रिफ़ॉन गिद्ध 'कम चिंता' (Least concern) की श्रेणी में है।

कानूनी संरक्षण

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 – अनुसूची I**
- **साइट्स (CITES) – परिशिष्ट II**

आवास और वितरण

- ये पक्षी **रेगिस्तान, सवाना, पानी के पास के घास के मैदान** और समुद्र तल से 3,000 मीटर तक की खुली पर्वत श्रृंखलाओं को पसंद करते हैं।
- ये भारत में व्यापक रूप से वितरित हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश समुद्री द्वीपों पर अनुपस्थित हैं।

गिद्ध संरक्षण का महत्व

पारिस्थितिक भूमिका

- ये **अपमार्जक** (Scavengers) हैं जो **मृत शरीर** (carrion), **कूड़े** और कभी-कभी मल पर भोजन करते हैं। ये शायद ही कभी जीवित जानवरों का शिकार करते हैं।
- ये मृत शरीर को खाकर **बीमारी के प्रसार** को रोकते हैं, जिससे **जूनोटिक बीमारियों** (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी) का खतरा कम होता है।

व्यवहार और शरीर विज्ञान

- ये मध्यम से बड़े आकार के पक्षी होते हैं जिनकी **चौड़ी पंखें, गंजा सिर** और मोटे, भुरभुरे पंख होते हैं, जो **ऊँचाई पर उड़ान भरने** के लिए आदर्श हैं।
- ये अत्यधिक **सामाजिक** होते हैं, झुंडों में रहते हैं और पांच साल बाद परिपक्व होते हैं, इनका जीवनकाल 50-60 वर्ष होता है।

खतरे

- दूषित मृत शरीर से **ज़हर** (जैसे **डाइक्लोफेनाक**, कीटनाशक, सीसा)।
- आवास का नुकसान, वाहनों से टक्कर, बिजली के झटके (electrocution), भुखमरी और उत्पीड़न।

रिहाई और अनुकूलन के लिए उठाए गए कदम

- **रिहाई से पहले अनुकूलन (Pre-release acclimatization):** गिद्ध पर्यावरण के अनुकूल होने और अन्य अपमार्जकों को देखने के लिए **कामरूप और बिश्वनाथ** में बाड़ों में **तीन महीने** बिताएंगे।
- **सामुदायिक जुड़ाव:** **BNHS**, **RSPB** और असम वन विभाग के साथ मिलकर गाँव स्तर पर **जागरूकता कार्यक्रम** आयोजित कर रहा है, जिसमें गिद्धों के पारिस्थितिक महत्व पर जोर दिया गया है।
- **जनक स्टॉक (Founder Stock):** छोड़े गए गिद्धों को पूरे असम से एकत्र किए गए मूल गिद्धों से पाला गया है, जिससे **आनुवंशिक विविधता** सुनिश्चित होती है।
- **सहयोगात्मक प्रयास:** वैज्ञानिक, वन अधिकारी और स्थानीय समुदाय सहित बहु-हितधारक दृष्टिकोण दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय संरक्षण पहल

गिद्ध संरक्षण के लिए NBWL कार्य योजना 2020–2025 निम्नलिखित पर प्रकाश डालती है:

- **गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र:** राज्यों में **उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु** शामिल हैं।
- **गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (Vulture Safe Zones):** शेष आबादी की रक्षा के लिए प्रति राज्य में कम से कम एक क्षेत्र।
- **बचाव केंद्र:** पिंजौर (हरियाणा), भोपाल (मध्य प्रदेश), गुवाहाटी (असम), हैदराबाद (तेलंगाना)।
- **विषाक्त दवा निगरानी:** गिद्धों के लिए हानिकारक **पशु चिकित्सा दवाओं** को स्वचालित रूप से हटाना।

- **राष्ट्रीय गिद्ध जनगणना:** जनसंख्या का सटीक अनुमान लगाने के लिए समन्वित प्रयास।
- **उभरते खतरों पर डेटाबेस:** टक्करों, बिजली के झटकों और अनजाने में ज़हर दिए जाने को ट्रैक करना।

गिद्ध संरक्षण में चुनौतियाँ

- **पशु चिकित्सा दवाओं** और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से **ज़हर** मिलना।
- **आवास का क्षरण** और शहरी विस्तार।
- **धीमी प्रजनन दर** और देर से परिपक्वता।
- जनसंख्या के पतन को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और जागरूकता की आवश्यकता।

आगे की राह

- **सामुदायिक नेतृत्व वाले संरक्षण** प्रयासों को मजबूत करना, स्थानीय ज्ञान और प्रोत्साहन को एकीकृत करना।
- **गिद्ध-सुरक्षित क्षेत्रों** का विस्तार करना और हानिकारक दवाओं से मुक्त मृत शरीर-सुरक्षित क्षेत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पशु चिकित्सा दवाओं को विनियमित करने और खतरों को कम करने वाली राज्य और केंद्र नीतियों को बढ़ावा देना।
- **अनुसंधान, निगरानी और डेटा संग्रह** को बढ़ाना, जिसमें **सैटेलाइट टैगिंग**, जनसंख्या आकलन और खतरे का विश्लेषण शामिल है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q1. भारत में गिद्धों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं:

1. गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजातियों में व्हाइट-रंप्ड, स्लेंडर-बिल्ड, लॉन्ग-बिल्ड और रेड-हेडेड गिद्ध शामिल हैं।
2. गिद्धों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है।
3. गिद्ध रेगिस्तान, सवाना और घास के मैदानों में अनुपस्थित हैं।

सही विकल्प चुनें:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: A – कथन 1 और 2 सही हैं।

Q2. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) असम में गंभीर रूप से संकटग्रस्त गिद्धों को छोड़ने की योजना बना रही है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन/कथन सही हैं:

1. प्रारंभ में केवल नर गिद्ध छोड़े जाएंगे।
2. कामरूप और बिस्वनाथ जिले इन प्रजातियों की प्राकृतिक सीमा में आते हैं।
3. गिद्ध पूरी तरह छोड़ने से पहले कम से कम तीन महीने पर्यावरण के अनुकूल होने में बिताएंगे।

सही विकल्प चुनें:

A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: B – कामरूप और बिस्वनाथ गिद्धों की प्राकृतिक सीमा में हैं और गिद्धों को पर्यावरण में अनुकूलन के लिए तीन महीने दिए जाएंगे।

Q3. भारत में गिद्ध संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित पहलों पर विचार करें:

1. हर राज्य में गिद्ध-सुरक्षित क्षेत्र (Vulture-safe zones)
2. पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में रेस्क्यू केंद्र
3. गिद्धों के लिए विषैला पशु चिकित्सा दवाओं का स्वतः निष्कासन
4. राष्ट्रीय गिद्ध जनगणना (National Vulture Census)

इनमें से कौन-सी पहलें NBWL Action Plan 2020–2025 का हिस्सा हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3
C. 1, 2, 3 और 4
D. केवल 2, 3 और 4

उत्तर: C – सभी चार पहलों को NBWL Action Plan 2020–2025 में शामिल किया गया है।

IAS-PCS Institu
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806